प्रदर्शन | किसान से मारपीट को लेकर उग्र प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

मंडी गेट बंद कर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन

जबलपुर। जबलपुर की कृषि उपज मंडी में किसान के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में शनिवार को भारतीय किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने मंडी गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान मंडी परिसर में एकत्र हुए और आरोपी व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। किसानों ने बताया कि 29 अप्रैल को किसान शिवकुमार झारिया और पवन पटेल गेहूं से भरी ट्रॉली लेकर मंडी पहुंचे थे। बोली के बाद उनका माल शिव शक्ति मार्केटिंग के व्यापारी संजय गुप्ता द्वारा खरीदा गया। नियमानुसार तौल प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब किसान ने तौल की पर्ची मांगी, तो इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। किसानों का आरोप है कि पर्ची मांगने पर व्यापारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

परखी उठाकर किसान पर हमला

आरोप यह भी है कि व्यापारी ने परखी उठाकर किसान पर हमला करने की कोशिश की, जबकि उसका एक सहयोगी डंडा लेकर दौड़ा। घटना से नाराज किसानों ने शनिवार दोपहर मंडी गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, इस पूरे मामले ने मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच संबंधों और व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।

व्यापारी का लाइसेंस निलंबित

विरोध प्रदर्शन के बाद मंडी सचिव आर के सैय्याम ने कार्यवाही करते हुए किसान के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की शिकायत के बाद व्यापारी शिव शक्ति मार्केटिंग की अनुज्ञप्ति तत्काल रूप से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दी है।

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल, जिला अध्यक्ष रामराज पटेल, उपाध्यक्ष डॉ संतोष पटेल, भरता कृषक समाज के अध्यक्ष संजय जैन, नवीन पटेल, जीवन पटेल, अरविंद पटेल, राजकिशोर पटेल, विपिन पटेल, जुगल पटेल, राहुल, कोषाध्यक्ष राजेश पटेल, सरपंच सोनू पटेल, आर एम पटेल, विष्णु पटेल, यशवंत सोनी, पवन पटेल, रोहित पटेल, रोहित पटेल, सौरभ, अनिल सिंह, अभिषेक सिंह, प्रताब, अरविंद, अवधेश, कोमल, नितेश, अखिलेश, कौशल सिंह बांखेड़ी, ज्ञान सिंह मंजहोली, अजय पटेल सिमरा, जगदीश पटेल, सौरभ, अभय पटेल, डॉ. आर. एन. पटेल, सुरेश पटेल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस रद्द की मांग

भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि जब तक आरोपी व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आगामी दिनों में किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे। जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार संदीप जायसवाल और सचिव आर के सैयाम को ज्ञापन सौंपा।

इनका कहना है

बुधवार को मंडी में तौल करने पहुंचे थे, जहां शिव शक्ति मार्केटिंग के व्यापारी संजय गुप्ता से जब पर्ची मांगी गई तो उसने गाली-गलौज करना शुरू कर दी, विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की।

पवन पटेल
पीड़ित किसान

किसान के साथ हुई अभद्रता को लेकर किसान संघ ने शिकायत की है, जिसके बाद व्यापारी शिव शक्ति मार्केटिंग की अनुज्ञप्ति तत्काल रूप से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दी है।

आर के सैय्याम
मंडी सचिव

भारतीय किसान संगठन ने व्यापारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है, उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

संदीप जायसवाल
तहसीलदार

अचानक घायल हुये बालक को तुरंत मिला उपचार

जबलपुर, नवभारत। गाड़ी संख्या 11062 पवन एक्सप्रेस में लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) की यात्रा कर रहे एक बालक शनिवार 2 मई को अचानक घायल हो गया जिसे सिर में चोट लगी थी सूचना प्राप्त होते ही जबलपुर रेल मंडल द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। रेल मदद 139 से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर से मुंबई की यात्रा कर रहे यात्री रोहित कुमार के लगभग 4-5 वर्षीय पुत्र के सिर में चोट लगने से खून बह रहा था। यह सूचना कमर्शियल विभाग के माध्यम से नरसिंहपुर स्टेशन पर प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही ट्रेन के नरसिंहपुर स्टेशन पहुंचने पर रेलवे चिकित्सक डॉ. आर.आर. कुर्रे अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बालक का प्राथमिक उपचार किया। बालक के सिर पर लगी चोट की सफाई कर बेटाडिन से ड्रेसिंग की गई तथा आवश्यक दवाएं दी गईं। साथ ही, बच्चे के हाथ में लगी चोट का भी समुचित उपचार किया गया।

बालक की स्थिति हुई सामान्य

समय पर उपलब्ध कराए गए उपचार से बालक की स्थिति सामान्य हो गई। यात्री रोहित कुमार ने रेलवे प्रशासन एवं चिकित्सक टीम का आभार व्यक्त करते हुए त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद दिया। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके और यात्रा सुरक्षित एवं सुखद बनी रहे।

पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त करने से किया इंकार

जबलपुर। बलात्कार के आरोप में पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा ने याचिका की सुनवाई के करते हुए याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने करने के निर्देश जारी किये है।

छतरपुर जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट की शरण ली थी। पीड़ित महिला की तरफ से एफआईआर निरस्त किये जाने का विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ सहवास किया गया। आरोपी पुलिस विभाग में सूबेदार के पद पर

पदस्थ था,इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नही की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद महिला थाने में उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी। एफआईआर दर्ज करने के लिए उसे रात भरी थाने में बैठाकर उसे परेशान किया गया।

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका को निरस्त कर दिया। पीड़ित महिला की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह रुपराह व अधिवक्ता सुश्री प्रशांसा बलुआपुरी ने पक्ष प्रस्तुत किया।

सेवानिवृत्त कर्मी से चौबीस लाख की रिकवरी के आदेश पर रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से एक सेवानिवृत्त व्याख्याता को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी चौबीस लाख की रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला सेवानिवृत्त कर्मी अरविंद कुमार कुररिया की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी व अभिषेक मिश्रा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता शासकीय उमा. शाला दमोह सें व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त से हुए। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को शासन ने उनके खिलाफ चौबीस लाख रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद आवेदक की ओर से शासन को अभ्यावेदन दिया गया और बताया गया कि पूर्व में उनके द्वारा रिकवरी करा दी गई है, शासन से उन्होने कोई भी राशि नहीं ली है। चौबीस लाख की रिकवरी का आदेश विधि विरुद्व है। वहीं आवेदक की ओर से दलील दी गई सेवानिवृत्त कर्मी से किसी भी प्रकार की राशि कटौती नहीं की जा सकती। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

मुकेश गालव वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री चुने गये

कोटा में आयोजित हुई बैठक

जबलपुर, नवभारत। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डब्ल्यूसीआरईयू) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति व विशेष साधारण सभा (सीईसी) शुक्रवार 1 मई को कोटा में आयोजित की गई। जो उमरावमल पुरोहित सभागार कोटा में देर रात तक चली इस मीटिंग में मुकेश गालव को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन जबलपुर जोन का महामंत्री चुना गया। मुकेश गालव वर्तमान में ऑल इंडिया स्तर पर एआईआरएफ के सहायक महामंत्री भी है। वहीं जबलपुर मंडल के नवीन लिटोरिया को जोनल कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण

जानकारी दी गई प्रेस सचिव राजेश गौतम ने बताया कि सीईसी की इस बैठक में जबलपुर, भोपाल व कोटा मण्डल के सैकड़ो रेल कर्मचारियो व कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया जिसमें अमेण्डमेंट पश्चात जबलपुर हेडक्वार्टर पर रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव जोन के सहायक महामंत्री मनीष भगत ने रखा, जिसका समर्थन रोमेश मिश्रा ने किया। उसके पश्चात इस प्रस्ताव को पारित करने हेतु एआईआरएफ के कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड जे आर भौंसले ने सभा के पटल पर रखा, जिसे खचाखच भरे सभागार में करतल ध्वनि के साथ हाथ ऊंचे कर ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

कार्यशैली की प्रशंसा की

इस कार्यवाही के पश्चात् कार्यकारी अध्यक्ष जे आर भौंसले ने कोटा मण्डल के मुकेश गालव को महामंत्री, ईरशाद खान को कोषाध्यक्ष, जबलपुर के नवीन लिटोरिया, भोपाल के टी के गौतम को जबलपुर जोन की कार्यकारिणी में निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। मुकेश गालव के महामंत्री चुने जाने पर लोगो ने अपनी प्रशन्नता व्यक्त करते हुये उन्हे फूल मालाओं से लाद दिया तथा उनका जोरदार स्वागत व अभिनन्दन किया। इस अवसर पर उपस्थित एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने भी मुकेश गालव का गर्मजोशी से अभिनंदन किया तथा एआईआरएफ मे बतौर उनके सहायक महामंत्री पद पर कार्य करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी रेलवे बोर्ड, जोन व मण्डल में रेल प्रशासन के साथ कार्य करने की क्षमता व कार्यशैली की प्रशंसा की।

एक नजर में

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिले भारत रत्न

नवभारत,जबलपुर। भगत सिंह युवा विचार मंच द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंच के सचिव डिम्पी बिन्द्रा ने बताया कि इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, इसलिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी को सौंपा गया। इस दौरान तजिन्दर सिंह टीटू, डिम्पी बिन्द्रा, राजेश महेश्वरी, केशव कोरी, सतीष राजपूत, प्रकाश चौधरी, अशोक ठाकुर, रविन्दर सिंह चाना, टोनी राजपूत, प्रिंस सलूजा, रंजीत ठाकुर, रवि ठाकुर और नवजीत सिंह गिल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

मेडिकल में मरीज के परिजन से लूट

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज परिसर में अपने परिजन का इलाज कराने आए एक युवक से स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने सरेराह मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार सतना जिले के जवाहर नगर कोतवाली निवासी 32 वर्षीय सागर निगम अपने परिजन के इलाज के सिलसिले में जबलपुर के मेडिकल कॉलेज आया हैं। सागर जब अस्पताल के बाहर से चाय लेकर वापस लौट रहा था जैसे ही वह मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग के पास पहुंचा और अपने पिता को घर पर सूचना देने के लिए जेब से मोबाइल निकाला तभी एक स्कूटी पर सवार होकर तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे। इससे पहले कि सागर कुछ समझ पाता स्कूटी पर पीछे बैठे युवक ने हाथ से मोबाइल झपट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर तेजी से भाग निकले। पीड़ित ने शोर भी मचाया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी रफूचक्कर हो गए।

खेत में सो रही महिला के पैरों से पायल पार, शातिर चोर गिरफ्तार

जबलपुर। कुण्डम थानाअंतर्गत ग्राम मेहगवां में फसल की रखवाली करने गए एक दंपत्ति के साथ उस वक्त हाथ साफ कर दिया गया जब वे गहरी नींद में थे। शातिर चोर ने सोते समय महिला के पैरों से पायल निकाल ली और रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार शिव प्रसाद मरावी (35) निवासी मेहगवां ने बताया कि वह बीती रात अपनी पत्नी के साथ उड़द की फसल की रखवाली करने खेत गया था। थकान के कारण दोनों खेत में ही एक पेड़ के नीचे सो गए। रात करीब 2 बजे किसी की आहट पाकर जब दंपत्ति की नींद खुली, तो उन्होंने गांव के ही सुरेंद्र मरावी को वहां से भागते देखा। तभी महिला को अहसास हुआ कि उसके पैरों से 50 हजार रुपये की कीमती पायल गायब है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घेराबंदी कर संदेही सुरेंद्र मरावी (27) को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई पायल कीमत लगभग 50 हजार रुपये विधिवत जब्त कर ली है।

3 फील्ड ऑफिसर्स ने महिलाओं के खातों में सेंध लगा किया लाखों का गबन

जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत वार्ड नं. 5, खिरवा रोड स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की शाखा में पदस्थ तीन कर्मचारियों ने ही बैंक और सैकड़ों महिलाओं के साथ विश्वासघात कर लाखों की चपत लगा दी है। तीन फील्ड ऑफिसर्स ने न केवल कलेक्शन की राशि हड़पी, बल्कि बायोमेट्रिक मशीन का दुरुपयोग कर महिलाओं के खातों से चुपके से रकम भी निकाल लिए।

पुलिस के मुताबिक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड मझौली शाखा प्रबंधक मुकेश पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संगम मैनेजर दुर्गेश गौंड, मनीष लोधी और सजल चौरसिया ने मिलकर ठगी की योजना बनाई। आरोपियों ने ग्रामीण महिलाओं को झांसा दिया कि उनके लोन स्टेटस को चेक करने के लिए बायोमेट्रिक लगाना अनिवार्य है। जैसे ही भोली-भाली महिलाओं ने मशीन पर अंगूठा लगाया, उनके खातों से लोन की राशि और प्री-पेमेंट के पैसे आरोपियों ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए।

बैंक को लगाई 10 लाख की चपत

आरोपियों ने 25 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच इस पूरी हेराफेरी को अंजाम दिया। ऑडिट में सामने आया है कि सजल चौरसिया ने सबसे अधिक 5,01,927 रुपये का गबन किया। दुर्गेश गौंड ने 2,61,185 रुपये डकारे। मनीष लोधी ने 2,03,581 रुपये की धोखाधड़ी की। जब ब्रांच मैनेजर ने गबन पकड़े जाने पर तीनों आरोपियों से संपर्क किया, तो उन्होंने पैसे लौटाने के बजाय साफ कहा- पैसे नहीं लौटाएंगे, तुम्हें जहां शिकायत करनी है कर दो। इसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

पुलिसकर्मी ने मचाया हंगामा, युवक को बीच सड़क पीटा, वीडियो वायरल

जबलपुर। बरेला थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में न केवल हंगामा मचाया बल्कि एक ग्रामीण युवक की सरेराह पिटाई भी कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक बरेला थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी पतिराम मरकाम सरकारी डायल 112 वाहन लेकर सलैया पड़वार गांव पहुँचा था। ग्रामीणों का आरोप है कि पतिराम इस कदर नशे में धुत था कि वह अपनी सुध-बुध खो चुका था। सड़क पर वाहन खड़ा कर वह बिना किसी कारण के ग्रामीणों से उलझने लगा और हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान गांव के ही एक युवक अमित ने जब बीच-बचाव या विरोध करने की कोशिश की, तो नशे में चूर पुलिसकर्मी आपा खो बैठा। आरोप है कि पतिराम मरकाम ने अपनी वर्दी का धौंस दिखाते हुए अमित के साथ अभद्रता की और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर पुलिसकर्मी की इस गुंडागर्दी को देखकर ग्रामीण सहम गए, वहीं कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जब न्याय की गुहार लगाने के लिए आला अधिकारियों को फोन किया, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ग्रामीण डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय और थाना प्रभारी शुभम सिंह ठाकुर को कई बार फोन किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं समझा।

आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान प्राथमिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर लाभ दें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान प्राथमिक शिक्षकों को मैरिट के आधार पर लाभ प्रदान करने का राहत कारी निर्देश दिया है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग से पूर्व आदिवासी कल्याण विभाग अंतर्गत की गई सेवा अवधि को जोडने् और शत-प्रतिशत वेतन देने कहा गया है। दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी प्रवीण कुमार कुर्मी सहित अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, अभिलाषा लोधी व काजल विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आयुक्त लोक शिक्षण ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की मनमानी व्याख्या कर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान प्राथमिक शिक्षकों को आदिवासी कल्याण विभाग में दो वर्ष से अधिक की गई सेवा का लाभ न देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग में नए सिरे से पदस्थाना की व्यवस्था दे दी थी। इससे याचिकाकर्ताओं को आर्थिक के साथ वरिष्ठता का नुकसान हो रहा था। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई। पसंद की शालाओं में पदस्थाना न देते हुए पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग की शालाओं में जो उनके निवास से 400 से 900 किलोमीटर दूर थीं, पदस्थ कर दिया गया था। जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके गृह नगर में पदस्थ किया गया था। इसी भेदभाव को चुनौती दी गई थी। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

सिलेंडर, मशीन चुराने वाले तीन पकड़ाए

जबलपुर। गोराबाजार थाना अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी से सिलेंडर, मशीन चुराने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सुशील रजक 40 वर्ष निवासी दुर्गा कालोनी ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ड्राईवरी करता है। घर में ताला लगाकर दोस्त के साथ चला गया था। शाम 4 बजे घर वापस आया तो कि किचिन मे रखे 2 गैस सिलेण्डर एवं एक पानी की मशीन गायब थी। पुलिस ने सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज के आधार पर चिराग राजपूत को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर चिराग राजपूत ने अपने साथी सतीष अहिरवार एवं अंश चौधरी के साथ मिलकर सिलेण्डर एवं मशीन चुराना स्वीकार किया, जिसके बाद सतीश और अंश को दबोचा गया।

हत्या के प्रयास पर पांच साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

हाईकोर्ट ने राज्य की अपील पर सत्र न्यायालय का दोषमुक्ति आदेश किया निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने राज्य शासन की अपील पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय का दोषमुक्ति आदेश निरस्त कर दिया। इसी के साथ हत्या के प्रयास के आरोपी छिंदवाड़ा निवासी अमित तुलस्यान को पांच वर्ष के कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुना दी। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परतला छिंदवाड़ा निवासी सलीमुद्दीन अशर्फी का आरोप है कि पूर्व में भूमि के विवाद व पूर्व प्रकरणों में आपसी राजीनामा को लेकर आठ अप्रैल 2013 को शाम लगभग 7.30 बजे रेल्वे क्रासिंग परतला के पास गोली चलाई गई थी। पीछे से एक इंडिका गाड़ी आई जिसमें अमित तुलस्यान, चंद्रपाल सिंह, अंबिका हरिओम उर्फ गोलू, बंटी तिवारी, चुटिला और बोध सिंह मुख्य आरोपी बैठे हुये थे। पुरानी रंजिश के कारण अमित तुलस्यान ने गोली चलाई थी। हाईकोर्ट ने तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि हमलावर अमित तुलस्यान को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए आरोपी अमित को बरी करने का फैसला निरस्त किया जाता है। राज्य की अपील स्वीकार की जाती है।

मौसम का मिजाज | मौसम ने बदली करवट, गर्मी से मिली राहत

बादलों का डेरा, रिमझिम बरसे बदरा, तेज हवाएं चलीं

जबलपुर। शनिवार को दोपहर होते-होते आसमान में काली घटाओं ने ऐसा डेरा डाला कि दिन में ही शाम जैसा नजारा दिखने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया। रिमझिम बारिश शुरू हो गई। रूक-रूककर शाम तक बारिश का दौर चलता रहा। जिससे भीषण गर्मी और चिपचिपाती उमस से राहत मिली। शनिवार को सुबह से सूर्यदेव तमतमाये लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम ने करवट बद ली और अचानक मौसम का मिजाज बदल गया।

ठंडी हवाओं के झोंकों ने फिजा में घुली तपिश को कम किया और देखते ही देखते धूल भरी आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज हवाओं और बिजली की कड़क के साथ बदरा बरसे । जिससे गर्मी से राहत मिली।

बारिश आंधी का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से बारिश और 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। चौबीस घंटे में गरज चमक के साथ जिले में कहीं-कहीं वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है।

16 किमी की रफ्तार से चली हवाएं

शनिवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री पर प हुंच गया जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 51 और शाम को 50 प्रतिशत दर्ज की गई। दक्षिण-पश्चिम हवाएं 14 से 16 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।